भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2608

04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों में अनुसंधान और विकास

2608. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री डी.के. सुरेश:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आयुष स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपयोग की गई आयुष स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के विकास के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में आयुष प्रणालियों में किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों के सिद्ध परिणामों के सबंध में सूचना के प्रसार के लिए कोई उपाय किए हैं/करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मेलों, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और शैक्षिक मंचों आदि के माध्यम से राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुष मंत्रालय के तहत, स्वायत्त संगठनों के रूप में कार्यशील पांच अनुसंधान परिषदें हैं, जो आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार और सत्यापन के लिए अपने संबंधित प्रणालियों में मौलिक और व्यावहारिक पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रारम्भ, संवर्धन, चयन और समन्वय करने हेतु अधिदेशित है।

ये पाँच अनुसंधान परिषदें हैं:

1. केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)
2. केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन)
3. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम)
4. केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस)
5. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)

आयुष मंत्रालय आयुष क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी और निजी संस्थानों को भी सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय "आयुर्ज्ञान योजना" और "आयुर्स्वास्थ्य" योजना नामक दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। आयुष पद्धतियों में अनुसंधान के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से आयुर्ज्ञान योजना के अनुसंधान और नवाचार घटक (पूर्व में एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम) के तहत, आयुष क्षेत्र की अनुसंधान आवश्यकताओं के लिए चिकित्सा, वैज्ञानिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों की क्षमता का दोहन करने के लिए आयुष क्षेत्र की अनुसंधान आवश्यकताओं हेतु सहायता प्रदान की जाती है। आयुर्ज्ञान योजना के अनुसंधान और नवाचार घटक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुरूप बीमारी के बोझ के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आयुर्स्वास्थ्य योजना के उत्कृष्टता केंद्र घटकों के तहत, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित आयुष और एलोपैथी संस्थानों में उन्नत/विशेषीकृत आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य इकाई की स्थापना में सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक शिक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार और ऐसे अन्य क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों की दक्षताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्यों और सुविधाओं दोनों की स्थापना और उन्नयन के लिए रचनात्मक और अभिनव प्रस्तावों का भी समर्थन करती है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के विकास के लिए आवंटित और आयुष मंत्रालय के तहत अनुसंधान परिषदों द्वारा उपयोग किए गए धन का विवरण **संलग्नक** पर दिया गया है।

(ग) और (घ): जी हाँ, आयुष पद्धतियों में किए गए शोध कार्यों के सिद्ध परिणामों की जानकारी का प्रसार विख्यात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। आयुष मंत्रालय प्रकाशित आयुष प्रणाली अनुसंधान डेटा का एक रेपोजेटरी रखता है जो आयुष अनुसंधान पोर्टल [यूआरएल: https://ayushportal.nic.in/] पर उपलब्ध है। दिनांक 02 अगस्त 2023 तक इस पोर्टल पर कुल 39989 शोध आलेख उपलब्ध हैं।

आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर मेलों, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और शैक्षणिक मंचों आदि के माध्यम से राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

*****

संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयुष मंत्रालय के अनुसंधान परिषदों से संबंधित बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यक्रम	2020-21			2021-22		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान	297.00	273.00	264.16	328.27	309.37	312.72
2	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान	157.00	164.05	164.05	167.79	157.73	157.73
3	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान	138.50	130.50	130.50	167.58	143.58	135.33
4	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान	40.50	48.30	48.30	59.70	57.44	57.44
5	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान	35.00	35.30	35.30	36.77	39.06	39.06

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यक्रम	2022-23			2023-24	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	**25.07.23** तक व्यय
1	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान	358.50	358.50	354.40	379.50	211.41
2	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान	175.80	175.05	173.42	173.30	86.40
3	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान	143.70	143.70	143.70	145.00	71.75
4	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान	85.24	87.62	42.62	103.57	25.89
5	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान	46.67	46.88	46.88	51.36	25.68